मंथन क्रमांक 129 ''विचार और चिंतन का फर्क।

विचार और चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं। विचार निष्कर्ष है और चिंतन निष्कर्ष तक पहुॅचने का मार्ग। प्रत्येक व्यक्ति के मन में निरंतर नये नये विचार तथा समस्याएॅ आती रहती हैं। व्यक्ति चिंतन मनन करके इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। ऐसे निष्कर्ष ही कालान्तर में व्यक्ति के विचार और समस्याओं के समाधान बन जाते हैं। जिस तरह कोई वैज्ञानिक भौतिक आधार पर रिसर्च करके कुछ नये निष्कर्ष निकालता है उसी तरह विचारक सामाजिक विषयों पर रिसर्च करके कुछ निष्कर्ष निकालता है। विचारक चिंतक और मौलिक चिंतक भी अलग–अलग होतें है। जब कोई व्यक्ति अनेक विषयों पर ठीक ठीक निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाता है तब उसे चिंतक मानना शुरू कर देते है और जब कोई चिंतक विश्व स्तरीय मान्यताओं पर चिंतन करके अब तक प्रसारित कुछ भिन्न निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाता है तब उसे मौलिक चिंतक मानना शुरू कर देते हैं।

समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिये प्रत्येक व्यक्ति में विचार और क्रिया का संतुलन होना चाहिये। ऐसा ही संतुलन सामाजिक आधार पर भी आवश्यक है। यदि विचारहीन क्रिया होगी तो समाज में अव्यवस्था का खतरा है। दूसरी ओर यदि क्रिया हीन विचार होगा तब भी अव्यवस्था निश्चित है। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है इसलिये समाज में संतुलन आवश्यक है जो वर्तमान विश्व में नहीं है। वर्तमान विश्व में चिंतन का अभाव होता जा रहा है और यदि चिंतन ही नहीं होंगे तो विचार या मौलिक चिंतन की तो कल्पना ही व्यर्थ है। एक अनुमान के अनुसार समाज में दस प्रतिशत के करीब विचारकों की संख्या होनी चाहिये। वर्तमान समय में यह संख्या एक प्रतिशत से भी कम है और निरंतर घटती जा रही है।

यदि हम भारत का ऑकलन करें तो भारत की स्थिति तो और भी अधिक खराब है। कुछ हजार वर्ष पूर्व वैचारिक धरातल पर भारत पूरी दुनियां में सबसे अधिक समृद्ध था। भारत विचारों का निर्यात करता था और इस आधार पर दुनियां में भारत का सम्मान था। कुछ हजार वर्षो से भारत में विचारकों और विचारो का अभाव हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनियां से विचारों का आयात करनें लगा। आज भारत के किसी भी विद्वान से चर्चा करिये तो वह या तो पश्चिम के अनेक विद्वानों के निष्कषो को आधार बनाकर आप के सामने अपने तर्क प्रस्तुत करता है अथवा बहुत पुराने समय के भारतीय विद्वानों के निष्कर्षो को आधार बनाता है। शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो किसी भी सामाजिक विषय पर अपनी खुद की राय या निष्कर्ष बता सकें क्योंकि ऐसे चिन्तन का भारत में पूरी तरह अभाव हो गया है। यह एक दुःखद स्थिति है किन्तु भारत इस स्थिति को बदल नही पा रहा क्योंकि भारत में कोई ऐसा वातावरण नहीं बन पा रहा है कि विचार और चिंतन की दिशा में किसी का आकर्षण हों।

मैंने इस संकट पर बहुत सोचा। भारत यदि धन–सम्पत्ति, विज्ञान अथवा राजनैतिक क्षेत्र में सारी दुनियां के साथ, प्रतिस्पर्धा कर रहा है तों विचारों के क्षेत्र में भारत पिछड क्यों रहा है? दुनियां में कुछ समय से मौलिक चिंतन का अभाव बढ रहा है और उसका परिणाम है कि भारत दुनियां के अधूरे चिंतन से निकलें निष्कर्षो को ही आधार बना कर उनकी आंख बंद करके नकल करने और उसे आगे बढाने को मजबूर है। मैंने जब भारत में प्रचारित और सर्वस्वीकृत सैकडो सामाजिक विषयों पर गंभीर चिंतन किया तों मैं इस निष्कर्ष तक पहुॅचा कि दुनियां से आयात किये गये अनेक निष्कर्ष न केवल गलत है बल्कि समाज शास्त्र के विरूद्ध भी है, लेकिन भारत में ऐसे विरोधी निष्कर्षो को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है। उसका परिणाम है कि भारत भौतिक उन्नति की ओर तो बढ रहा है किन्तु वैचारिक धरातल पर लगातार गिरावट की दिशा में जा रहा है। भारत में राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, विज्ञान आदि की तो अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है किन्तु समाजशास्त्र की या तो शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है या अप्रर्याप्त शिक्षा मिल रही है। यदि भारत में किसी बालक में कोई प्रतिभा दिखने लगती है तो उसे प्रारंभिक काल में ही अनेक तरह के संगठन अपने साथ जोडकर उसकी स्वतंत्र विचार क्षमता को गुलाम बनाना शुरू कर देते है। बचपन से ही उसका इस तरह ब्रेनवाश शुरू हो जाता है कि वह स्वतंत्र विचार नहीं कर पाता और वह उस संगठन का एक प्रचारक मात्र बन जाता है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था में इसकी सामाजिक मान्यता थी और लगभग दस प्रतिशत लोग प्रारम्भ में स्वतंत्र विचार मंथन की दिशा में आगे बढते थे लेकिन यह व्यवस्था उलट गई और परिणाम हुआ कि भारत वैचारिक धरातल पर कंगाल हों गया।

मैं भी अपने जीवन में इस संकट से दो चार होता रहा। विभिन्न संगठनों ने मेरी स्वतंत्र विचार क्षमता को अपनी दिशा में मोडने की कोशिश की किन्तु मैं बचता रहा और अब तक बचा हुआ हूँ। मुझे बहुत लोगो ने यह सलाह दी और अब भी दे रहे है कि विचार तो बहुत हुआ अब क्रिया की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि क्रिया तो बहुत हो रही है किन्तु विचार नहीं हो रहा। देश में छोटे–छोटे मुद्दों पर गोलियां तक खाने वाले आप को हर जगह मिलेंगे किन्तु ऐसे लोगों का आप कों अभाव दिखेगा जो किसी सामाजिक विषय पर कोई निष्कर्ष निकालने की क्षमता रखते हो। मैं इस संकट से बचा रहा। मैंने अपने जीवन में कुछ नही किया किन्तु मुझे संतोष है कि कुछ न करने के बाद भी मैंने जीवन में बहुत कुछ किया क्योंकि मैं वैचारिक धरातल से उपर उठकर चिंतन की दिशा तक आगें गया और चिंतन से भी आगे बढकर मौलिक चिंतक के रूप में आगे बढ सका। मुझे महसूस होता है कि विभिन्न विषयों पर दुनियां के विचारों का आयात करके जो असत्य धारणा भारत में प्रचारित हो गई है उसे सफलतापूर्वक और बहुत आसानी से चुनौती दी जा सकती है। इतना ही नहीं दुनियां में भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारत विचारों का निर्यात भी कर सकता है।

भारत में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई इस पर भी मैंने विचार किया। भारतीय वर्ण व्यवस्था में विचारकों को सर्वोच्च सम्मान, रक्षकों को सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति, पालको को सर्वोच्च सुविधा और सेवकों को सर्वोच्च संतुष्टि की गारंटी और सीमा बनायी गयी थी। जब वर्ण व्यवस्था विकृत हुई और विकृत होने के बाद टूट गयी तब शक्ति सम्मान और सुविधा की छीना झपटी में राजनेता और पूंजीपति आगे निकल गये तथा विचारक धीरे धीरे किनारे होते गये। विचारक को राजनैतिक शक्ति नहीं चाहिये, सुविधा नहीं चाहिये किन्तु सम्मान भी यदि नही होगा तो विचारक बनने वालों की लाइन कमजोर होती जायेगी। वही हुआ और अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग भी या तो सत्ता की दौड में चले गये या धन कमाने में लग गये। परिणाम स्वरूप चिंतकों तथा विचारकों का अभाव होना ही था और हुआ भी। इसी के परिणाम स्वरूप भारत विदेशों से विचारों का आयात करने लगा और भारत में भी समाज के समक्ष यह मजबूरी हो गई कि वह राजनेताओं या पूंजीपतियों को ही विचारक मानकर उनका अनुकरण करने लगें। इस संकट से हमें निकलना चाहिये क्योंकि इस संकट का कोई अन्य समाधान नहीं है। मैंने अपने जीवन के पैंसठ सक्रिय वर्ष इस समस्या के समाधान के चिंतन में लगाकर यह निष्कर्ष निकाला कि अब इस प्रकार के प्रयत्नों को आगे बढाने की आवश्यकता है। धीरे–धीरे चिंतक आगे आयेगे तभी विचारों की धारा बढेगी और तभी भारत कुछ मौलिक निष्कर्ष निकालकर दुनियां को दे सकेगा।

यही सोचकर मैंने अपना घर बार छोडकर पिछले छः महीने से ऋषिकेश को केन्द्र बनाया है। इस कडी में हमारा पहला कार्यक्रम इकतीस अगस्त से चौदह सितम्बर दो हजार उन्नीस तक पंद्रह दिनों का ऋषिकेश में होगा। पंद्रह सितम्बर को प्रातः काल समापन होगा। इस कार्यक्रम में एक तरफ कुछ धार्मिक आयोजन भी चलते रहेंगे दूसरी और प्रतिदिन दो विषयों पर गंभीर विचार मंथन भी होता रहेगा। कोशिश की जायेगी कि भावना प्रधान लोग कुछ विचारो में भी रूचि ले तथा उनका महत्व समझे। इस पंद्रह दिवसीय ज्ञान–यज्ञ में देशभर के अधिक से अधिक लोगो को आमंत्रित किया जा रहा है जिनके भोजन और निवास की पूरी व्यवस्था ऋषिकेश के नागरिक करेंगे। मै स्वयं तथा बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के निदेशक आचार्य पंकज जी जून महीने के दूसरे सप्ताह से एक महीनें तक उत्तर भारत की यात्रा करके सामाजिक समस्याओं के समाधान विषय पर विचार भी रखेंगे तथा पंद्रह दिवसीय इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के लिये समाज को आमंत्रित भी करेंगे। इस तरह ज्ञान यज्ञ तथा शोध संस्थान के सम्मिलित प्रयास से यह अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। आप सबकी स्वीकृति, सहमति और सहयोग की अपेक्षा है।

मंथन क्रमांक 130 ''संविधान और संविधान संशोधन''

पूरे विश्व में मूल ईकाईयां दो होती है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति सबसे नीचे की अंतिम इकाई होती है और समाज सबसे उपर की अंतिम। व्यक्ति के लिये स्वतंत्रता और सहजीवन का संतुलन अनिवार्य आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा समाज के लिये अनिवार्य है तो समाज के साथ जुडकर रहना व्यक्ति की मजबूरी है। जब व्यक्ति स्वतंत्रता की सीमायें तोडता है तब वह उच्श्रृंखल हो जाता है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमायें टूटती है तब वह गुलाम हो सकता है। उच्श्रृंखल व्यक्ति पर नियंत्रण और गुलामी से सुरक्षा के लिये समाज एक व्यवस्था बनाता है। इस व्यवस्था को व्यक्ति और समाज अपने अधिकार देते हैं, तब ऐसे अधिकार उस व्यक्ति की शक्ति बन जाते हैं। इस शक्ति के बल पर ही वह व्यवस्था सेना, पुलिस, वित्त आदि के अधिकार अपने पास रखती है, ऐसी अधिकार प्राप्त इकाई मनमानी न करने लगे

इसलिये उसे अधिकार देने वाली इकाई उसके अधिकारों और हस्तक्षेप की सीमाये निश्चित कर देती है। ऐसी सीमायें निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान प्रत्येक इकाई के अलग–अलग हो सकते हैं, किन्तु यह आवश्यक है कि संविधान बनाने में इकाई के प्रत्येक व्यक्ति की समान और स्वतंत्र भूमिका हो। किसी एक व्यक्ति को भी निकालकर किसी इकाई का संविधान नहीं बन सकता।

व्यवस्था की कई इकाईयां होती है, और सबके अपने अपने संविधान भी हो सकते हैं। परिवार व्यवस्था की पहली इकाई है इसी तरह ग्राम व्यवस्था राष्ट्र व्यवस्था और विश्व व्यवस्था को माना जा सकता है। स्वाभाविक है कि सबके अपने अपने स्वतंत्र संविधान हों। हो सकता है कि ऐसे संविधान लिखित हों भी और न भी हों किन्तु सभी सदस्यों की सहमति से बनी परम्परा भी संविधान मानी जाती है। यदि कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति है तो उसके अधिकारों की सीमायें निश्चित करने वाले प्रावधान संविधान की अनिवार्य आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन प्राकृतिक अधिकारों में कभी कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसका अर्थ हुआ कि संविधान बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की सहमति अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारो के विषय में उसकी सहमति के बिना ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही क्रियान्वित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की सहमति से कोई ऐसा समझौता होता है जो उसकी स्वतंत्रता के विरूद्ध है तो उस व्यक्ति की सहमति के बिना यह समझौता लागू नहीं किया जा सकता। कल्पना करिये कि मैंने किसी व्यक्ति या इकाई से यह समझौता कर लिया कि यदि मैं आपको गाली दूंगा तो आप मुझे पीट सकते हैं किन्तु इस समझौते के बाद भी यदि मैं गाली देता हूँ तो वह व्यक्ति मेरी सहमति या स्वीकृति के बिना मुझे पीट नहीं सकता। मेरी उच्श्रृंखलता के दंड के लिये मैं या वह दोनो को समाज के पास पक्ष प्रस्तुत करके निर्णय कराना ही होगा। बिना मेरी स्वीकृति या समाज के निर्णय के मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नही हो सकता।

परिवार, गांव और राष्ट्र आदि व्यवस्था की इकाईयां है और जाति, धर्म क्षेत्रीयता आदि इन व्यवस्थाओं की सहायक इकाईयां। जाति, धर्म आदि को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। वह मार्गदर्शक अथवा समन्वयक इकाई मानी जाती है इसलिये इन सबका कोई संविधान नहीं होता, किन्तु परिवार, गांव, राष्ट्र आदि शक्ति संपन्न इकाईयां हैं इसलिये इनके संविधान होते है। आदर्श स्थिति में परिवार, गांव, राष्ट्र और विश्व के अपने अपने संविधान होने चाहिये और ऐसे प्रत्येक संविधान निर्माण में उस इकाई के प्रत्येक व्यक्ति की समान भूमिका होनी चाहिये। इसका अर्थ हुआ कि परिवार का संविधान भी परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से ही बन सकता है और राष्ट्रीय संविधान भी उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की सहमति से बनेगा। विश्व संविधान में भी दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र और समान भूमिका होनी चाहिये। राष्ट्र प्रमुख मिलकर कोई दुनियां का संविधान नहीं बना सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अनिवार्य होती है। दुर्भाग्य से अब तक विश्व सरकार नहीं बन पाई है, और विश्व का संविधान भी नहीं बन सका है जो बनना चाहिये। इसी तरह परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था को भी आतंरिक स्वतंत्रता न देकर राष्ट्र व्यवस्था ने इनका अपहरण कर लिया है। इसलिये परिवार और गांव के भी संविधान नही बने हैं। राष्ट्रों के कुछ देशों में संविधान बने है और जिन देशो में संविधान बने हैं ऐसे देशो में भारत भी एक है।

जिस समय भारत का संविधान बनना शुरू हुआ उस समय भारत गुलाम था इसलिये संविधान बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की सहमति न लेकर अंग्रेजो ने अपनी इच्छा से एक बीच का मार्ग निकाला और एक संविधान सभा बनाकर उसके प्रस्ताव को ही जन स्वीकृति मान लिया और संविधान में लिख दिया कि हम भारत के लोग अपने लिये संविधान को आत्म समर्पित करते है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर जो चुनाव हुआ उस चुनाव को ही जन स्वीकृति घोषित कर दिया गया। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति मिलकर संविधान बनाते है उन व्यक्तियों को ही संविधान संशोधन का अधिकार होता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत के सभी नागरिकों की सहमति अथवा स्वीकृति के बिना कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता, किन्तु भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान डाल दिया गया जिसके अनुसार संविधान संशोधन के असीम अधिकार तंत्र को दे दिये गये और लोक को उस भूमिका से बाहर कर दिया गया। व्यवस्था का ढॉचा इस तरह होता है कि सबसे उपर लोक अर्थात समाज होता है उसके नीचे एक संविधान होता है जो राज्य पर अनुशासन बनाता है, राज्य कानून बनाता है और व्यक्ति सबसे नीचे की इकाई होता है अर्थात वह कानून का पालन करने के लिये बाध्य है। जब संविधान तंत्र पर नियंत्रण करने के उददेश्य से बनाया जाता है तब तंत्र संविधान का पालन करने के लिये बाध्य है संविधान तंत्र को अधिकार देता है लेता नहीं, किन्तु छलपूर्वक संविधान निर्माताओं ने तंत्र को ही संविधान संशोधन के असीम अधिकार दे दिये। व्यक्ति के मौलिक

अधिकार स्वैच्छिक है और मौलिक अधिकारों में कोई भी संविधान उसकी इच्छा के बिना कोई कटौती नहीं कर सकता किन्तु संविधान निर्माताओं ने संसद को वह अधिकार भी सौप दिया यद्यपि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक तरीके से संसद के उक्त अधिकार पर आशिंक रोक लगाई। संविधान संशोधन का अधिकार लोक के अतिरिक्त किसी और को दिया जाना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है, किन्तु आज तक इस संबंध में न कोई मामला भारतीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ ना ही विश्व व्यवस्था में। प्रस्तुत करने का भी लाभ नहीं दिखता क्योंकि ना तो कोई विश्व संविधान बना है ना ही विश्व व्यवस्था। भारतीय न्याय व्यवस्था भी तंत्र का एक हिस्सा है और वह भी संविधान को गुलाम बनाकर रखने की लडाई ने विधायिका के साथ संलग्न है इसलिये उसकी भी कोई रूचि नहीं है। परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था को तोड मरोडकर छिन्न–भिन्न कर दिया गया है। देश के प्रमुख विद्वानों और विचारको को भी कई प्रकार के सम्मान और लालच से उनका मुॅह बंद कर दिया गया है, इसलिये वे भी मुॅह नहीं खोल पाते। यदि कुछ लोग समझते भी हैं तो उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती के समान हो जाती है। किन्तु सब कुछ होते हुये भी यह एक मौलिक समस्या है, कि संविधान निर्माण और संशोधन में प्रत्येक व्यक्ति की स्वंतत्र भूमिका का होना ही लोकतंत्र है यदि संविधान निर्माण में ऐसी भूमिका नहीं है तो भारत का लोकतंत्र, लोकतंत्र न होकर संसदीय तानाशाही है जिसे छलपूर्वक लोकतंत्र कहा जा रहा है। लोकतंत्र के लिये पूरे देश में आवाज उठनी चाहिये और उसका प्रारंभ यही से हो सकता है कि संविधान संशोधन के तंत्र के असीम अधिकारो में किसी न किसी प्रकार की कटौती होनी चाहिये।

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि संविधान संशोधन के लिये ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जो व्यावहारिक हो। इस संबंध में कई तरीके हो सकते हैं। संसद द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन के लिये एक अलग प्रक्रिया बन सकती है, उसके लिये जनमत संग्रह हो सकता है, उसके लिये सभी सरपंच अथवा ग्राम सभाओं की स्वीकृति का प्रावधान बनाया जा सकता है, उसके लिये एक अलग संविधान सभा बन सकती है जो नागरिको के द्वारा चुनी जाये अथवा किसी और प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में लोकतंत्र की जगह संसदीय तानाशाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कार्य अत्यन्त कठिन है किन्तु आवश्यक भी है और इस संबंध में सामाजिक जागृति ही इसकी शुरूआत हो सकती है क्योकि तंत्र से जुडे लोग अथवा उससे लाभान्वित व्यक्ति जन जागृति के पक्ष में नहीं खडे होगे। इसलिये हम लोगों ने संपूर्ण समाज के समक्ष इस समस्या को प्रस्तुत किया है। ज्ञान यज्ञ परिवार और बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान ने मिलकर ऋषिकेश में पंद्रह दिनों का ज्ञानोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया है। उस कार्यक्रम में पांच सितम्बर को तथा आठ सितम्बर को इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। इस चर्चा के माध्यम से पूरे देश में इस आवश्यकता की भूख पैदा हो यह प्रयत्न होगा। इस विचार मंथन के निष्कर्ष भी समाज के सामने आयेंगे ही। अधिक से अधिक लोगो को ज्ञानोत्सव 2019 में शामिल होना चाहिये।

मंथन क्रमांक 131 ''क्षेत्रियता कितनी समाधान कितनी समस्या''

आदर्श व्यवस्था के लिये नीचे वाली और उपर वाली इकाईयों के बीच तालमेल आवश्यक है, यदि यह तालमेल बिगड़ जाये तो अव्यवस्था होती है, जो आगे बढकर टकराव के रूप में सामने आती है। वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था में प्रदेश और केन्द्र दो ऐसी ही अलग–अलग इकाईयां हैं। प्रदेशों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। इन स्वतंत्रताओं का दुरूपयोग करके प्रदेश यदि अन्य प्रदेशों से टकराव का स्वरूप ग्रहण कर लें तब पूरी राष्ट्रीय एकता पर बुरा प्रभाव पडता है।

राज्य अर्थात राष्ट्रीय सरकारें यह प्रयत्न करती हैं कि समाज कभी एकजुट न हो जाये। यदि समाज एकजुट हो जाये तब राज्य को अपने उपर खतरा दिखने लगता है। इस सामाजिक एकता को छिन्न–भिन्न करने के लिये राज्य फूट डालों और राज करों की नीति पर निरंतर चलता रहता है। इसके लिये राज्य अनेक शस्त्रों का उपयोग करता है। ऐसे शस्त्रों में आठ प्रमुख माने जाते है। 1. धर्म 2. जाति 3. भाषा 4. क्षेत्रियता 5. उम्रभेद 6. लिंग भेद 7. आर्थिक भेद 8. उत्पादक/उपभोक्ता। इन आठों में से प्रत्येक पर राज्य निरंतर सक्रिय रहता है। चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों न हो किन्तु पूरी ईमानदारी से सभी दल इस फूट डालो की नीति पर मिल जुलकर काम करते हैं। कभी किसी एक मुद्दे को आगे बढाकर वर्ग संघर्ष को बढाया जाता है तो उस मुददे को ठंडा होते ही कोई एक नये वर्ग संघर्ष की तैयारी होने लगती है निरंतर वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में टकराव चलता रहे इसके लिये लगातार किसी न किसी मुददे को आगे बढाना ही सफल राजनीति

मानी जाती है। क्षेत्रियता अर्थात प्रादेशिकता भी इन आठ प्रकार के टकरावों में एक महत्व पूर्ण स्थान रखती है। हर एक–दो वर्ष में कहीं न कही क्षेत्रियता के नाम पर जन उभार का प्रयत्न शुरू किया जाता है। सभी राजनैतिक दल दो गुटों में बंटकर आपस में टकराव का नाटक करते है और उस नाटक के दर्शक भावनाओं में बहकर आपस में वास्तविक टकराव में उलझ जाते हैं। परिणाम होता है कि दोनो सामाजिक समूहों में स्थायी रूप से वैमनस्यं की मजबूत दीवार खडी हो जाती है। राजनैतिक दल इस प्रकार के क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के नाम पर कुछ नये कानून बनाकर अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं तथा कुछ वर्षो के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में पुनः उस शस्त्र का उपयोग करते है।

हम वर्तमान भारत का आंकलन करें तो स्वतंत्रता के बाद लगातार पूरे देश में क्षेत्रियता का विस्तार किया गया। शान्त वातावरण में पंडित नेहरू ने सबसे पहले भाषा वार प्रांत रचना के नाम से ऐसा बीच बोया जिसने भारत को स्थायी रूप से उत्तर और दक्षिण में बॉट दिया। वह खाई अब तक नहीं मिटी है। इस क्षेत्रिय विभाजन के प्रमुख सूत्रधार एम करूणा निधि जी इसी माध्यम से सत्ता के शीर्ष तक बनें रहने में कामयाब रहे । उनकी सबसे बडी खूबी यही मानी जाती है कि उन्होंने क्षेत्रीयता को सत्ता का माध्यम मान लिया और सफल हुये । इसी प्रकार बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र और मराठी के नारे को सत्ता का माध्यम बना लिया और सफल भी हुये, इन लोगो ने खुले आम हिंसा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सारी संवैधानिक और सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन किया यहॉ तक कि बाल ठाकरे तो अपनी तुलना शेर से करने लगे थे। किसी लोकतांत्रिक देश में कोई दादा समाज की तुलना गाय से और स्वयं की शेर से करे और वह व्यक्ति सम्मानित हो यह लोकतंत्र का खुला अपमान है। इस सीमा तक क्षेत्रियता का नंगा नाच हम सबने देखा है। यदि हम व्यक्तिगत आधार को छोड़ दे और सामान्य जन मानस में क्षेत्रियता के जहर का ऑकलन करें तो इसमें सबसे ऊपर नंबर बिहार का आता है। आबादी बढाने में भी बिहार आगे रहता है तो दूसरे प्रदेशों में रहते हुये क्षेत्रिय एकता का दुरूपयोग करने में भी बिहार की अग्रिम भूमिका रहती है। जब क्षेत्रियता के नाम पर सारे नियम कानून को किनारे करके कोई व्यक्ति या समूह समाज में प्रगति करने लगता है तो अन्य लोग भी उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते है। इस प्रकार अन्य प्रदेशों में भी छत्तीसगढी या गढवाली के नाम पर क्षेत्रियता के विष बीज अंकुरित होने लगते है। स्वाभाविक है कि राजनीतिज्ञ ऐसे अंकुरण का लाभ उठाने को तैयार दिखते हैं और खाद पानी देकर उस विष वृक्ष को इतना मजबूत कर देते है कि वह उन लोगो के लिये छाया बन जाता है। मैंने स्वयं देखा है कि क्षेत्रियता की आवाज मजबूत करने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं राजनैतिक व्यवसाय से जुड़ने की इच्छा रखता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो सामाजिक धारणा भी रखता हो और क्षेत्रियता को भी प्रोत्साहन दे। राजनीति का तो क्षेत्रियता के प्रोत्साहन देना मुख्य आधार ही माना जाता है।

क्षेत्रियता के विस्तार में मुख्य रूप से बुद्धि जीवियों का स्वार्थ छिपा होता है किन्तु बहुत चालाकी से ऐसे लोग भावना प्रधान लोगो को आगे करके उन्हें टकराव के लिये प्रोत्साहित करते हैं। समाज के लोग दो गुटों में बंटकर टकराते हैं तथा दोनो गुट अपना नुकसान करते हैं किन्तु राजनेता इस टकराव का लाभ उठाते हैं। समस्या बहुत जटिल हो गयी है अब तो पूरे भारत में क्षेत्रियता की भावना बढती जा रही हैं। योग्यता के स्थान पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकताये दी जाये इसकी मांग खुलेआम होने लगी है। क्षेत्रीयता और भाषा को भावनात्मक मुददा बनाने के लिये उसके साथ संस्कृति को भी जोड लिया जाता है। इस तरह भाषा और संस्कृति को जोड़कर क्षेत्रियता की आग जलाई जाती है जबकि न भाषा का क्षेत्रियता से कोई संबंध होता है न संस्कृति का।

समस्या जटिल है किन्तु बहुत खतरनाक है। समस्या लगातार बढती जा रही है राजनीति से जुडे लोग इस समस्या को उभार कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। समाज के ही विद्वानों को इसका समाधान खोजना चाहिये। सबसे बडी भूल संविधान निर्माताओं से हुई कि उन्होंने प्रदेशो को अंतिम अधिकार दे दियें। यदि केन्द्र से लेकर कुछ अधिकार प्रदेशों को दिये गये थे तो प्रदेशों से लेकर कुछ अधिकार जिला, गांव और परिवार तक विकेंद्रित करने चाहिये थे। यदि अधिकारों का केन्द्रीय करण प्रदेश और केन्द्र तक नहीं होता तो न राष्ट्रवाद पंनपता न ही क्षेत्रवाद। अधिकारों का इकट्ठा होना ही राजनेताओं को आकर्षित करता है और ऐसे राजनेता अपने स्वार्थ के लिये इन भावनात्मक मुददों को उछालकर उनका लाभ उठाते हैं। इसलिये अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। समान नागरिक संहिता भी इस समाधान में सहायक हो सकती है। हमें चाहिये कि हम क्षेत्रीयता के नाम पर लाभ उठाने वाले राजनेताओं की मंशा को समझें और ऐसे प्रयत्नों से अपने को दूर रखें।

प्रश्नोत्तर मंथन–128 ''कट्टरवाद, उग्रवाद और आतंकवाद''

प्रश्न–1 क्या स्वतंत्रता और सहजीवन एक साथ संभव है।

उत्तर–संभव हो या ना हो किन्तु संभव करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो या तो उच्श्रृंखलता का खतरा है अथवा गुलामी का। दोनो ही मार्ग ठीक नहीं है। इसलिये संतुलन अनिवार्य है।

प्रश्न–2 क्या परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है।

उत्तर–व्यक्ति स्वतंत्र भी होता है तथा समाज का अंग भी। जब वह किसी अन्य के साथ जुडता है तब उसका सहजीवन शुरू होता है। किसी अन्य के साथ जुडाव ही परिवार माना जाता है। चाहे वह प्राकृतिक हो या संगठनात्मक। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार तथा सम्पूर्ण समर्पण होता है इसलिये परिवार अनिवार्य है।

प्रश्न–3 क्या राष्ट्र अंतिम इकाई नहीं है।

उत्तर–वर्तमान समय में सारी दुनियां में राष्ट्र को अंतिम इकाई माना गया है किन्तु यह गलत है। राष्ट्र को विश्व की एक इकाई होना चाहिये ना कि अंतिम इकाई। राष्ट्रवाद हमेशा घातक होता है।

प्रश्न–4 जो लोग परिवार अथवा गांव को अंतिम इकाई मान लेते है वे सब कट्टर होते है क्या?

उत्तर–नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में से कुछ लोग कटटर हो जाते है। यदि ऐसे लोग परिवार में प्रभावशाली हो जाये तो अन्य इकाईयों से टकराव शुरू हो जाता है। यह टकराव ही उग्रवाद में बदल जाता है।

प्रश्न–5 क्या बुद्धिजीवी लोग उग्रवादी या आतंकवादी नहीं होते ?

उत्तर–बुद्धिजीवी भावना प्रधान लोगो का उपयोग करते है स्वयं सामने नहीं आते इसलिये बुद्धिजीवियों को उग्रवादी या आतंकवादी कहना बहुत कठिन होता है। ऐसे लोग अप्रत्यक्ष होते है।

प्रश्न–6 क्या यही बात सारी दुनियां में नहीं है?

उत्तर–दुनियां के अनेक देशो में उतना अधिक कटटरवाद नहीं है जितना भारत और पाकिस्तान में है। भारत में शांति प्रिय हिन्दुओं की अधिकता कट्टरपंथी मुसलमानों के लिये अपनी संख्या विस्तार के लिये आसान टारगेट रखता है। भारत के बगल में पाकिस्तान और बंगलादेश भी है। भारत में राजनैतिक स्वार्थ के लिये अनेक हिन्दू भी इन कट्टरपंथियों की मदद करते है। इसलिये भारत में यह संख्या अधिक है।

प्रश्न–7 क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते है। जिसमें मुसलमानों ने राज्य व्यवस्था की उपेक्षा की हो।

उत्तर–अब तक भारत में जितने भी दंगे हुये है उनमें आमतौर पर मुसलमान पुलिस में जाने की अपेक्षा सीधी कार्यवाही करता है और जब पुलिस या सेना उनपर अत्याचार करती है तब वे लोकतंत्र और संविधान की दुहायी देते है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब वे चुपचाप मार खाकर सरकार के पास गये हो।

प्रश्न–8 क्या कायरता के पक्षधर है?

उत्तर–मैं कायरता के पक्षधर नहीं किन्तु यदि उग्रवाद और कायरता के बीच तुलना करनी होगी तो मैं उग्रवाद के अधिक विरूद्ध हूॅ।

प्रश्न–9 संघ परिवार और साम्यवाद के बीच आप किसे अधिक कट्टर मानते है।

उत्तर–मैं साम्यवादियों को मुसलमानों से भी अधिक कट्टर मानता हूॅ संघ का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न–10 कट्टरवाद की पहचान क्या है?

उत्तर–कट्टरवाद आमतौर पर घृणा, इर्ष्या तथा द्वेष फैलाता है। यही आगे चलकर टकराव में बदल जाता है। जिसे हम उग्रवाद कहते है।

प्रश्न–11 उग्रवादियों द्वारा भी बेगुनाह लोग मारे जाते है।

उत्तर–यदि लक्ष्य आक्रमण करने से कोई बेगुनाह आदमी मरते है तो वह उग्रवाद ही माना जाता है किन्तु यदि लक्ष्य ही अंधाधुंध मारना हो तब उसे आतंकवाद कहेगे। आतंकवाद में सबसे अधिक सलिप्तता मुसलमानों की मानी जाती है।

प्रश्न–12 गोडसे आतंकवादी क्यों न माना जाना चाहिये।

उत्तर–गोडसे ने लक्ष्य की हत्या की थी असम्बद्धों की नहीं।

प्रश्न–13 क्या आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के विरूद्ध है।

उत्तर–जिस समय वे लोग कार्य कर रहे थे। उस समय गुलामी थी। गुलामी काल में मार्ग हिंसक भी हो सकता है अहिंसक भी किन्तु लोकतांत्रिक भारत में किसी भी परिस्थिति में मार्ग हिंसक नहीं हो सकता। वर्तमान समय में भगत सिंह सुभाष बाबु के नाम पर हिंसक मार्ग समर्थन पूरी तरह गलत है। इसे उग्रवाद कहा जाना चाहिये।

प्रश्न–14 क्या आतंकवादियों से बात नहीं करनी चाहिये।

उत्तर–बिल्कुल नहीं करनी चाहिये क्योंकि उन्हें तो तत्काल ही कुचलना ही उचित है। उग्रवादियों से बात की जा सकती है।

प्रश्न–15 कट्टरवाद को रोकने की पहल कहा से हो सकती है।

उत्तर–ज्ञान यज्ञ परिवार ने ऋषिकेश से इस दिशा में पहल की है इसके परिणाम अच्छे दिख रहे है। आप इस दिशा में और संपर्क कर सकते है।

प्रश्न–16 यदि परिवार ही कटटरवाद से प्रभावित हो तब क्या हो सकता है।

उत्तर–ऐसी स्थिति में उपर की इकाईयों को पहल करना चाहिये। कट्टरवाद को रोकना सरकार का काम नहीं है। कट्टरवाद तो समाज ही रोक सकता है।

प्रश्न–17 पाकिस्तान के आतंकवाद के विरूद्ध भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे आप कितना सहमत है?

उत्तर–भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी उससे में सहमत हूँ। आतंकवाद को सिर्फ कुचला ही जा सकता है और भारत सरकार ने दुनियां को साथ लेकर उचित कदम उठाया है किन्तु भारत की जनता और मीडिया ने जो प्रतिक्रिया दी उसके मैं विरूद्ध हूँ। पाकिस्तानी आतंकवाद की घटना को बहाना बनाकर भारत में जो कट्टरवाद फैलाया गया वह ठीक नहीं था। राष्ट्रीयता अच्छी बात है किन्तु राष्ट्रवाद अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा कि अनेक गंभीर कहे जाने वाले विचारक भी इस अंधे राष्ट्रवाद की हवा में बह गये। विदेशी आतंकवाद के साथ भारत सरकार का कैसा आचरण होना चाहिये यह सरकार पर निर्भर करता है। यदि सरकार बिल्कुल ही गलत दिशा में हो तब जनजागरण किया जा सकता है। किन्तु सरकार पर दबाव बनाने के लिये जनजागरण का सहारा लेना कटटरवाद की श्रेणी में आता है। विचारवान लोगों को इस बीमारी से बचना चाहिये था।

प्रश्नोत्तर '' मंथन क्रमांक 129 ''विचार और चिंतन का फर्क''

प्रश्न–1 क्या वर्तमान समय में ऐसे निष्कर्ष नहीं निकल रहे है?

उत्तर–भारत में तो आमतौर पर ऐसा नही दिख रहा क्योंकि भारत अधिकांश वैचारिक मामलों में विदेशो की नकल कर रहा है। भारत का संविधान विदेशो की नकल है। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जीवन पद्धति पर भी लगातार विदेशी प्रभाव बढ रहा है।

प्रश्न–2 क्या भारत में मौलिक चिंतक नहीं है?

उत्तर–यह कहना कैसे संभव है? यदि है भी तो उनका महत्व इतना कम है कि उनका चिंतन प्रचारित प्रसारित नही हो पा रहा। उनकी जगह सत्ता सम्पत्ति से सहायता प्राप्त चिंतन अधिक प्रसारित हो जाता है।

प्रश्न–3 आपके विचार में वर्तमान भारत में क्या स्थिति है?

उत्तर–मेरे विचार में भारत में सक्रिय लोग तो आपको गली गली मिल जायेगे किन्तु गंभीर चिंतनशील निष्कर्ष निकालने योग्य लोगो का अभाव है। विपरीत विचारो के लोग संगठन बनाकर इस तरह टकराते है जो पूरे देश के लिये समस्या बन जाता है ऐसे लोग एक साथ बैठकर कभी विचार मंथन नही करते। यहां तक कि विचार मंथन के लिये नियुक्त संसद में भी मंथन को छोडकर बाकी सब कुछ होता है। विचारहीन क्रिया वर्तमान भारत की बडी समस्या है।

प्रश्न–4 आपने जो लिखा वह सच है किन्तु इसका दोषी कौन?

उत्तर–इसके लिये भारत की कमजोर होती सामाजिक व्यवस्था को आधार माना जा सकता है। भारत में ज्ञान की अपेक्षा शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। भारत में विद्वत्ता की तुलना में सत्ता सम्पत्ति को अधिक महत्व दिया गया।

प्रश्न–5 क्या हमारे पुराने भारतीय विद्वानों के निष्कर्ष बदलने योग्य हो गये है जिससे उनपर फिर से विचार किया जाये?

उत्तर–अनेक निष्कर्ष देशकाल परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिये। सभी निष्कर्ष बदलने योग्य नहीं है किन्तु कौन से बदलने योग्य है कौन से नहीं, इसका निर्णय भी चिंतन मंथन से ही संभव है।

प्रश्न–6 क्या आप विचार में यह समस्या विश्वव्यापी है?

उत्तर–यह समस्या तो विश्वव्यापी है किन्तु इसका दुष्प्रभाव भारत पर ज्यादा पड रहा है क्योंकि भारत बहुत पहले विचारों का निर्यात करता था और अब आयात करने लगा है।

प्रश्न–7 आपका इशारा किस संगठन की ओर है?

उत्तर–मेरे विचार से अधिकांश संगठन इसी दिशा में सक्रिय है। प्राचीन समय में व्यक्ति वानप्रथ के बाद समाज के साथ सक्रिय होता था। अब तो मैं देख रहा हूँ कि अनेक लोग बचपन से ही सामाजिक कार्य लिप्त हो जाते है तथा वानप्रथ के समय निराश होकर परिवार के साथ जुड जाते है। ऐसे लोगो का पूरा जीवन असफल हो जाता है।

प्रश्न–8 दस प्रतिशत लोग विचार मंथन करते थे और शेष नब्बे प्रतिशत क्या करते थे?

उत्तर–नब्बे प्रतिशत लोग उन निष्कर्ष के आधार पर समाज व्यवस्था का ठीक ठीक संचालन करते थे। दस प्रतिशत लोगो को मार्गदर्शक कहा जा सकता है तथा शेष नब्बे प्रतिशत को रक्षक, पालक और सेवक में बांटा जा सकता है। वर्तमान समय में दस प्रतिशत की संख्या कम होकर एकाध प्रतिशत बच गयी है और नब्बे प्रतिशत बढकर निन्यान्नवें से भी अधिक हो गयी है।

प्रश्न–9 क्या आप वर्ण व्यवस्था के पक्षधर है?

उत्तर–वर्ण व्यवस्था भारत की अनिवार्य आवश्यकता है। विकृत वर्ण व्यवस्था की जगह नयी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिये किन्तु विकृत वर्ण व्यवस्था से लाभ उठा रहा सवर्ण समुदाय ऐसा नहीं होने देता। साथ ही उस विकृति को बदनाम करके उससे लाभ उठा रहा वामपंथी विधर्मी तथा अवर्ण समूह भी ऐसा नही होने देता। जब दोनो ही समूह आदर्श वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है तो यह काम बहुत कठिन है।

प्रश्न–10 इसका समाधान क्या है?

उत्तर–विचारकों तथा चिंतनशील व्यक्तियों को अधिक सम्मान देना चाहिये। यह सम्मान सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिये।

प्रश्न–11 इस ज्ञानोत्सव में हम क्या कर सकते है।

उत्तर–आप अपनी क्षमतानुसार एक विचारक के रूप में मंथन में शामिल हो सकते है अथवा आप एक श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर सकते है। आप एक समीक्षक के रूप में सलाह भी दे सकते है या आप व्यवस्था में भी सहायक हो सकते है। आप क्या कर सकते है यह आप पर निर्भर होगा।

प्रश्नोत्तर मंथन क्रमांक 130 ''संविधान और संविधान संशोधन''

प्रश्न–1 व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के साथ जुडकर रहना एक साथ कैसे संभव है। यदि व्यक्ति किसी के साथ जुडेगा तो उसकी स्वतंत्रता बाधित होगी और जुडकर रहना आपने अनिवार्य लिखा है।

उत्तर– यह सही है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसकी स्वतंत्रता सिर्फ इतनी ही है कि वह किसी के साथ जुडने और बाहर निकलकर किसी दूसरे के साथ जुड जाने के लिये स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता और किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ रहने के लिये बिना उसकी सहमति के मजबूर नहीं किया जा सकता।

प्रश्न–2 ऐसी व्यवस्था को अधिकार किस प्रकार दिये जाते है

उत्तर–एक संविधान बनाकर व्यवस्था के अधिकारों की सीमाये निश्चित कर दी जाती है। उन सीमाओं में रहकर व्यवस्था स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करती है।

प्रश्न–3 क्या संविधान समाज के लोगों के कर्त्तव्य निर्धारण नहीं करता। क्या संविधान व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमा नहीं बनाता है।

उत्तर–संविधान कभी न व्यक्ति के अधिकारों की सीमा बनाता है, न कर्तव्य का निर्धारण करता है। ना समझी में संविधान में मौलिक कर्तव्य घुसा दिये गये है। संविधान में जो नीति निदेशक सिद्धांत डाले गये है वे सब भी बेकार की बाते है। यह संविधान का काम नहीं।

प्रश्न–4 क्या व्यक्ति अपना भी संविधान बना सकता है?

उत्तर–व्यक्ति अपना संविधान भी बना सकता है।

प्रश्न–5 मौलिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में क्या फर्क होता है। इनकी व्याख्या कौन करता है।

उत्तर–मौलिक अधिकार, मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में कोई फर्क नहीं होता। सृष्टि के प्रारंभ से ही ये अधिकार चले आ रहे है और भविष्य में भी उसी तरह चलते रहेंगे। बहुत आवश्यक होने पर विश्व समाज इनकी व्याख्या कर सकता है किन्तु अब तक ऐसी आवश्यकता नहीं पडी है।

प्रश्न–6 यदि कोई समझौता हो गया है और वह समझौता दोनो की सहमति से हुआ है तब उसका उल्लंघन होने पर दूसरा पक्ष क्यों कार्यवाही नहीं कर सकता।

उत्तर–समझौता करने वाले दोनो पक्ष यदि समझौता टूटने के बाद भी आपस में सहमत है तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किन्तु यदि एक पक्ष समझौते को अस्वीकार कर देता है तथा समझौते को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानता है। तब उस समझौते पर समाज द्वारा बनाई गयी संवैधानिक व्यवस्था विचार करती है। व्यवस्था के माध्यम से ही हस्तक्षेप संभव है। सीधा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि आप समझौता टूटते समय भी उस समझौते को क्रियान्वित नहीं कर सकते। आपको व्यवस्था का सहारा लेना ही होगा।

प्रश्न–7 यह सैद्धांतिक रूप से तो संभव है किन्तु व्यावहारिक नहीं दिखता। इतनी बडी आबादी एक साथ कैसे बैठ सकती है।

उत्तर–इसकी चिंता समाज करेगा। समाज उसका तरीका निकाल सकता है कि संविधान संशोधन का क्या तरीका हो। कोई भी कमेटी सिर्फ सुझाव दे सकती है। समाज को बाध्य नहीं कर सकती।

प्रश्न–8 आपने अपहरण शब्द लिखा है क्या यह उचित है?

उत्तर– यदि यह शब्द ठीक नहीं है तो आप सुझाव दे कि क्या लिखा जाये।

प्रश्न–9 संविधान सभा ने सिर्फ प्रस्ताव दिया था और चुनाव के बाद जनता ने उसे स्वीकार किया।

उत्तर–चुनाव के समय यह बात साफ नहीं थी कि यह चुनाव संविधान सभा का है अथवा लोकसभा का। जनता को भ्रम में रखा गया। फिर भी यदि हम मान ले कि जनता ने संविधान बनाया तो संविधान में लिखी कोई भी बात यदि मौलिक अधिकारों के विरूद्ध जाती है तब जनता उससे इन्कार कर सकती है।

प्रश्न–10 संविधान निर्माण में समाज अर्थात लोक की क्या भूमिका रही है।

उत्तर–जब तक संविधान निर्माण में लोक की स्वतंत्र भूमिका नही होती तब तक संसदीय लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न–11 क्या संसद का चुनाव जनता नहीं करती है।

उत्तर–जनता संसद को शासन करने के लिये चुनती है और उसे संविधान के अनुसार शासन करना पडता है। वहीं संसद संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है।

प्रश्न–12 क्या संविधान संशोधन में तंत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिये।

उत्तर–तंत्र प्रस्तावक हो सकता है किन्तु निर्णायक नहीं हो सकता। न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही निर्णय कर सकती है स्वतंत्र नहीं। संविधान के विषय में न्यायालय को तभी हस्तक्षेप का अधिकार है जब संविधान का कोई प्रावधान व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारो का उल्लंघन करता हो। अन्यथा न्यायालय कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्न–13 क्या वर्तमान समय में न्यायालय अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है।

उत्तर–न्यायपालिका यह नहीं समझ पा रही है कि उसकी सीमायें क्या है। न्यायपालिका तो विधायिका से टकराव तक सीमित है। यह टकराव समाज के लिये नहीं है बल्कि अपनी सर्वोच्चता के लिये है।

प्रश्न–14 क्या आप इसके लिये कोई आंदोलन करेंगे।

उत्तर–मैं एक विचारक मात्र हूॅ। मेरी अपनी सीमायें है। उम्र और स्वास्थ्य भी एक कारण है। मैं विचार दे सकता हूॅ। अन्य लोग सक्रिय होगे ऐसी मुझे उम्मीद है।

प्रश्न–15 आप उपर लिखे तरीको में से किस तरीके अधिक पसंद करते है।

उत्तर–यह अभी प्रश्न नहीं हो सकता। जो लोग इसकी आवश्यकता समझेगे और कुछ सक्रिय दिखेगे उनके बीच बैठकर तरीको पर चर्चा हो सकती है। जो लोग निष्क्रिय है या असहमत है उनसे चर्चा का कोई लाभ नहीं है। रूआ ना सूत जुलाहे से लठम लठा से मैं बचना चाहता हूॅ।

प्रश्नोत्तर मंथन क्रमांक 131 ''क्षेत्रियता कितनी समाधान कितनी समस्या''

प्रश्न–1 क्या दुनियां भर में ऐसे प्रयत्न होते हैं?

उत्तर–आमतौर पर दुनियां की सभी सरकारे ऐसा प्रयत्न करती है किन्तु भारत तथा दक्षिण एशिया के देशो मे यह प्रवृत्ति ज्यादा है।

प्रश्न–2 राज्य आठ प्रकार के टकराव को जानबूझकर बढ़ाता है या ये स्वतः समाज में बढते है और राज्य लाभ उठाता है।

उत्तर–ये टकराव समाज में नहीं बढते बल्कि राजनीति से जुडे लोग समाज में घुसपैठ करके इन टकराव को हवा देते है। राज्य इसमें शामिल हो जाता है।

प्रश्न–3 क्या आप मानते है कि क्षेत्रीय टकराव में सिर्फ राजनेताओं का स्वार्थ होता है?

उत्तर–हॉ मैं तो ऐसा ही मानता हूॅ यदि राजनेता दूर हो जाये तो क्षेत्रीय या प्रादेशिक टकराव होगे ही नहीं।

प्रश्न–4 इससे राजनैतिक दलों को क्या लाभ होता है?

उत्तर–हर राजनेता समाज को किसी न किसी आधार पर गुलाम बनाने की इच्छा रखता है जब समाज के लोग किसी नाम पर आपस में टकराते है राजनेताओं को अपने अधिकार बढाने में सुविधा दिखती है। स्वतंत्रता के बाद लगातार यह ही हो रहा है।

प्रश्न–5 क्या करूणा निधि की सफलता का एक मात्र आधार यही है?

उत्तर–कोई आधार हो तो आप बताइये। मेरी जानकारी में तो यही एक मात्र आधार है।

प्रश्न–6 आप बाल ठाकरे को अच्छा आदमी मानते है या गलत।

उत्तर– जो भी व्यक्ति समाज को आपस में लडा भिडा कर अपनी राजनैतिक रोटी सैकता है वह अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं को शेर और दूसरो को गाय समझता है वह अच्छा आदमी नहीं है।

प्रश्न–7 ऐसा लिखकर आप बिहार के लोगो का अपमान कर रहे है।

उत्तर–यह बात सही है इसलिये मैने अपने मन की बात लिखी है। यदि मैं अपने लोगो के बीच अपने मन की बात नहीं लिखूॅगा तो दूसरो के बीच क्या लिखूॅगा। अच्छा हो कि आप मान अपमान की बात छोडकर सही गलत के तर्क प्रस्तुत करे।

प्रश्न–8 क्या आप छत्तीसगढी की भावना के भी विरूद्ध है जबकि आप खुद छत्तीसगढ में ही रहते है।

उत्तर– मैं किसी प्रकार के क्षेत्रवाद के विरूद्ध हूॅ। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो सभी आठ आधारों पर वर्ग निर्माण के विरूद्ध हूॅ। वर्ग निर्माण हमेशा वर्ग संघर्ष की दिशा में बढता है।

प्रश्न–9 कुछ लोग आर्थिक असमानता की बहुत चर्चा करते है। इस संबंध में आपका क्या मत है

उत्तर–जो व्यक्ति राजनैतिक असमानता की बात न करके सिर्फ सामाजिक, आर्थिक असमानता दूर करने की बात करते है उनका राजनैतिक स्वार्थ निश्चित है। ऐसे लोग वर्ग संघर्ष बढाने वाले है। गरीबी अमीरी की सीमा बने और राजनेताओं के अधिकारो की सीमा न बने यह स्वार्थ पूर्ण विचार है। सत्ता का केन्द्रीयकरण अर्थ के केन्द्रीयकरण की तुलना में अधिक घातक है। यद्यपि घातक दोनो ही है।

प्रश्न–10 भावना प्रधान लोग इस बात को समझते क्यों नहीं।

उत्तर–आज समाज में कुछ लोग चालाक है और कुछ लोग शरीफ। समझदारी का अभाव हो। चालाक लोग नहीं चाहते कि शरीफ लोगो में समझदारी बढे। चालाक लोग शरीफ लोगो को टकराव के लिये प्रोत्साहित करते है। ऐसे लोगो को पहले शराफत छोडकर समझदारी का प्रशिक्षण देना चाहिये।

प्रश्न–11 क्या स्थानीय लोगो को रोजगार देने की मांग गलत है।

उत्तर–स्थानीय लोगो को रोजगार देने का प्रयत्न ठीक है और रोजगार की मांग करना गलत है। मांग या तो निकम्मे लोग अधिक करते है अथवा स्वार्थी तत्व। स्थानीय लोगो को रोजगार देने में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

प्रश्न–12 आप एक विचारक है। आप इस संबंध में क्या कर रहे है

उत्तर–समस्याएं अनेक है और मैं एक विचारक मात्र हूॅ। मैं समाज को समाधान के प्रति जागरूक कर रहा हूॅ। शेष काम आप सबका है।

प्रश्न–13 यह सही है कि सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है। इसे कैसे रोका जा सकता है।

उत्तर–इसके लिये जन जागृति ही एक मात्र समाधान है। कोई भी राजनेता सत्ता के केन्द्रीयकरण की तिकडम करता रहता है और उसके लिये आर्थिक, सामाजिक या क्षेत्रीय असमानताओं को विस्तार देता रहता है। इसलिये कोई राजनेता इस बात नहीं समझेगे। सीधे समाज तक यह बात पहुॅचानी होगी।

प्रश्न–14 क्या समान नागरिक संहिता भी क्षेत्रीयता के समाधान में सहायक होगी।

उत्तर–मेरे विचार में तो समान नागरिक संहिता अधिकांश समस्याओं के समाधान में सहायक होगी।

प्रश्नोत्तर

विकास राजपुरोहित जी जोधपुर, राजस्थान
गांधी हत्या पर आपके लेख पर जो प्रतिक्रिया की हैं उसे मैं नीचे दे रहा हुॅ । कृप्या मार्गदर्शन करे।

प्रश्न–1 मुझे लगता है आपने जिस प्रकार से गांधी का महिमामंडन किया है कही न कही मुझे अतशियोक्तिपूर्ण लगा। गांधी स्वयम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे पर जब तक वो जीवित रहे सारी सत्ता उनके पास रही चाहे वो किसी भी रूप में रही हो। उसका दुरुपयोग 12 के मुकाबले 1 वोट होने के बावजूद नेहरू का प्रधानमंत्री बनना इसका स्पष्ट उदारहण है। जितनी उदारता की बात हिंदुओ से चाहते थे उतनी वो मुस्लिम से क्यो नही चाहते थे। क्या यह सच नही है के पाकिस्तान से घरबार छोड़ कर आये हिंदुओ को मस्जिद में ठहरने का उन्होंने विरोध किया था। वो अपनी जिद के आगे न कुछ देखते थे न कुछ सोचते थेए उन्हें लगता था उनका स्वधर्म ही धर्म की सम्पूर्ण व्याख्या है। उनकी मुक सहमति के बिना भारत के टुकड़े होना असंभव था। आजादी से पूर्व किसी ने उनकी हत्या का प्रयास किया ऐसा कोई प्रमाण नही है। उन्होंने सदैव अपनी जिद में उचित और अनुचित तरीके से अपनी ताकत का उयोग किया तो वो कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकते थे। एक तरफ अहिंसा की बाते करते अंग्रेजो से लड़ते और दूसरी तरफ विश्वयुद्ध में भारतीयों को अंग्रेजो की तरफ से लड़ने का आव्हान कर रहे थे ये कैसा दोगलापन था।

प्रश्न–2 हिंसा हर समय बुरी नही होती क्यो की यदि ऐसा होता तो दिग्भ्रमित हुए अर्जुन को नपुसंक बोलकर ललकारते नही न ही गीता ज्ञान देते के जो राष्ट्र के प्रतीक बन बैठे है वास्तव में उनका वध जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च।

उत्तर– गांधी के पास कभी सत्ता नहीं रही है। गांधी ने कभी सत्ता का उपयोग भी नहीं किया है। सत्ता उसके पास होती है जिसके पास सेना, पुलिस, संविधान तथा कानून की शक्ति हो। सामाजिक सहमति से प्राप्त शक्ति को व्यवस्था कहते है सत्ता नहीं। गांधी ने कभी बल प्रयोग नहीं किया। यह अवश्य है कि गांधी किसी गलत सामूहिक निर्णय के समक्ष झुके भी नहीं। यह अवश्य है कि उन्होंने एक बार भारत विभाजन का सामूहिक निर्णय, जो गलत था उसका विरोध न करके उसे स्वीकार कर लिया। निर्णय करने वालो की नीयत खराब थी और गांधी की भूल। गांधी हिन्दू थे, हिन्दू विचारधारा से ओत प्रोत थे इसलिये वे हिन्दुओं से अधिक अपेक्षा करते थें मुसलमानों से कम। यही कारण है कि गांधी ने हिन्दुओं को मस्जिद में ठहरने से रोका। गांधी की मौन स्वीकृति थी इसका मतलब यह हुआ कि गांधी ने गलत करने वालो का विरोध नहीं किया। यह अवश्य है कि गांधी यदि विरोध स्वरूप अनशन करके मर जाते तब गलत करने वालों का स्वाभाविक उद्देश्य पूरा हो

जाता और गलत करने वालो को वह कलंकित कार्य नहीं करना पडता जो बाद में उन्होंने किया। यदि गांधी का स्वतः मर जाना अच्छा था तो यह आपकी सोच हो सकती है मेरी नहीं। गांधी का हिंसक विरोध दस वर्ष पहले से शुरू हो गया था। यह बात मैंने कई लोगो से सुनी और हमारे मित्र आचार्य पंकज जी ने इसे कन्फर्म भी किया है। गांधी जो उचित समझते थे उसके लिये जिद्द करते थें लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में कही भी ताकत का उपयोग नहीं किया है। जिन लोगों नें अंग्रेजों से लडने के लिये विदेशी शक्तिओं के साथ मिलकर योजनायें बनाई वे गलत थे, गांधी नहीं। क्योंकि यदि अंग्रेजो के विरूद्ध विदेशियों का साथ दिया जाता तो भारत अब भी गुलाम रहता भले ही वह किसी अन्य देश का हों।

सतीश शांडिल्य जी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

प्रश्न–1 मेरा पहला प्रश्न है कि महान सम्राट अशोक की जयंती आज तक स्वतंत्र भारत के किसी भी शासन ने मनाने की क्यों नहीं सोची तथा दूसरा प्रश्न है कि भारत के विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को जिस आक्रमणकारी बख्तियारा खिलजी ने जलाया था उसके नाम पर बने हुये रेलवे स्टेशन का नाम आप तक क्यों नहीं बदला गया।

उत्तर–यदि कोई व्यक्ति या समूह अत्याचार करता है और उस अत्याचार का हम मुकाबला न करके उससे पीडित होते है तो उस अत्याचार की निशानियां बाद में दो प्रकार का प्रभाव डालती है। अत्याचार करने वाली संस्कृति के लोग उसे अपने लिये विजय के रूप में प्रकट करते है तथा पीडित पक्ष उस निशानी को अत्याचार के रूप में सिद्ध करता है। प्राचीन समय में नालंदा विश्व विद्यालय अथवा वाराणसी के मंदिर के रूप में जो निशानियां बची है ये निशानियां अत्याचारी के पक्ष के लोगो के लिये कलंक के रूप में है और उन्हे समाज के समक्ष अपराधी के रूप में खडा करती है। ये निशानियां भले ही हमें पीडित के रूप में स्थापित करे, हमारी कमजोरी की प्रतीक हो, किन्तु कलंकित तो नहीं करती। यदि ये निशानियां मिटा दी जाये तो मेरे विचार में हमारे लिये लाभदायक न होकर हानिकारक ही होगी। चाहिये तो यह कि मुस्लिम समुदाय इन निशानियां को खुद मिटाकर कलंक दूर करने का प्रयत्न करे। किन्तु हम पीडित पक्ष के लोग इस कलंक को मिटाने की बात करे यह मेरी समझ में नहीं आया। विचारणीय यह भी है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व समाज के समक्ष अनेक गंभीर संकट प्रत्यक्ष दिख रहे है। ऐसे संकटों से भारत भी बहुत अधिक प्रभावित है और भारत में भी हिन्दू समाज को ज्यादा ही संकट झेलने पड रहे है। ऐसे समय में गम्भीर समस्याओं को प्राथमिकता न देकर कुछ शहरों के नाम बदलना या ऐतिहासिक कलंक के चिन्ह मिटाने की प्राथमिकता देने की कोशिश उचित नहीं दिखती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ।

नवीन कुमार शर्मा, नोएडा

प्रश्न–1 हाल ही में शेखर तिवारी की हत्याकांड में जिस तरह उसकी पत्नी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है क्या वह वर्तमान परिवार व्यवस्था की घुटन को नहीं दर्शाती है कृपया मार्ग दर्शन करे।

उत्तर– पुरूष सशक्तिकरण का पुराना नारा भी गलत था और महिला सशक्तिकरण का वर्तमान प्रयास भी गलत है। अपराध व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। उसे महिला पुरूष का भेद करना उचित नहीं। प्राचीन समय से परिवारो में विवाद के मुख्य कारण जर, जोरू, जमीन को माना गया है। उसमें से जर अर्थात धन और जमीन मिलकर व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में एकाकार हो गये है और जोरू का अर्थ पत्नी से लिया जाता है। दोनो ही मामलों में भारतीय कानूनों ने समस्याओं को बढाया है। सम्पत्ति के मामले में स्वार्थ निरंतर बढ रहा है और पति पत्नी के संबंधों में घुटन नुकसान कर रही है। मेरे विचार से हमारे कानूनो में संशोधन करके व्यक्तिगत सम्पत्ति का व्यक्तिगत अधिकार समाप्त करके उसे परिवार की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में मान्यता दे दी जाये तो ये सम्पत्ति के झगडे बहुत कम हो जायेगे। इसी तरह परिवार के किसी भी सदस्य को परिवार से कभी भी अलग करना या अलग होने की स्वतंत्रता दे दी जाये तब भी बहुत से टकराव खत्म हो सकते है। कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ जुडकर नहीं रहना चाहता तो ऐसे व्यक्ति को जुडकर रहने के लिये एक मिनट के लिये भी बाध्य करने वाला कानून स्वयं में आपराधिक कानून है। ऐसे कानून को हटा देना इस समस्या का समाधान होगा। मेरा यह मत है कि संयुक्त सम्पत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने वाले सहमत व्यक्तियों का समूह परिवार माना जाना चाहिये।

अनोखे लाल यादव, मउ, उत्तर प्रदेश

प्रश्न– एक स्टिंग आपरेशन से पता लगा कि देश के चुनावों में आमतौर पर कालेधन का उपयोग होता है। लोग चुनावों में बडी मात्रा में पैसे और शराब का लेन देन करते है। आप भी अनेक वर्षो तक राजनीति में रहे हैं। पुराने जमाने में इस तरह पैसे का लेन देन होता था कि नहीं? आपके विचार में पैसा लेकर वोट देना अपराध है या अनैतिक?

उत्तर–मैं पिछले साठ वर्ष पूर्व चुनावी राजनीति से जुड गया था। उस समय भी वोट के लिये पैसा, शराब आदि का उपयोग होता था, यद्यपि मात्रा कम थी क्योंकि काला धन कम था। अब वह मात्रा बढ गयी है। वोट के लिये पैसा लेन देन करना न तो किसी प्रकार का अपराध है न ही अनैतिक। जब तक किसी कार्य के लिये भय या जालसाजी का उपयोग न किया जाये तब तक कोई कार्य अपराध नहीं होता, गैरकानूनी हो सकता है। वोट के लिये पैसे का लेन देन अनैतिक कार्य भी नहीं है। यदि मैं जानता हूॅ कि राजनीति पूरी तरह व्यापार है और कोई व्यापारी मेरा वोट मुफ्त मे चाहता है तो मैं उसे मुफ्त में क्यो दूॅ? किसी व्यापारी से पैसा लेकर उसका काम करना किसी भी दृष्टि से अनैतिक नहीं है। सच्चाई यह है कि सब प्रकार के प्रतिबंध हटा लेने चाहिये। चुनाव के लिये वैसे भी पैसा या कोई अन्य लोभ लालच गलत नहीं है और जब आप उसे रोक ही नहीं सकते तथा यह कार्य कोई अपराध नहीं है तब ऐसा अनावश्यक कानून बना ही गलत है। यदि इस प्रकार के अनावश्यक कानून हटा दिये जाये तो अनेक समस्याएं अपने आप सुधर जायेगी।

प्रमोद केशरी, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

प्रश्न–1 छत्तीसगढ के अम्बिकापुर शहर के एक गांव का समाचार छपा है कि किसी युवक ने 17 वर्ष की लडकी के साथ सहमति से अवैध संबंध बनाये। दोनो का विवाह भी हो गया। पुलिस ने बाल विवाह कानून के अंतर्गत लडकी को ससुराल जाने से रोक दिया। कुछ समय बाद लडके ने फोन करके लडकी को तलाक देने की सूचना दी तो लडकी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या में दोषी कौन है?

उत्तर–मैं समझता हूॅ कि इस घटना में लडके या लडकी का कोई दोष नहीं है। उम्र और इच्छाओं के आधार पर उसकी स्वाभाविक पूर्ति होनी चाहिये। पुलिस भी गलत नहीं थी। इस आत्महत्या के लिये देश का कानून, ऐसा कानून बनाने वाले तथा अब तक ऐसे अमानवीय अनावश्यक कानूनों का समर्थन करने वाले नासमझ लोग ही जिम्मेदार है। मैं प्रारंभ से ही बाल विवाह कानून विरोध करता रहा हूॅ और अब भी विरोध करता हूॅ।

सामयिकी

मैं बहुत प्रारम्भ से ही लिखता रहा हूॅ कि किसी वर्ग को यदि विशेषाधिकार दिये जाते है तो उस वर्ग के धूर्त लोग अन्य वर्गो के शरीफ लोगों पर अत्याचार करने के लिये ऐसे अधिकारों का उपयोग करते है। महिलाओं को विशेषाधिकार देना भी गलत था। मैंने शुरू से ही विरोध किया था और अब भी विरोध करता हूॅ। जो दूसरो के गिरने के लिये गड्ढे खोदता है, कभी कभी उसके स्वयं के गिरने की भी संभावना बन जाती है और तब समाज के लोग उस गड्ढे खोदने वाले पर कटाक्ष करते है। जब हमारे देश के सत्तारूढ नेता, न्यायपालिका के लोग तथा अन्य सशक्त लोग महिलाओं को विशेषाधिकार देकर सारे समाज को संकट में डाल रहे थे तब उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि यह तलवार उनके विरूद्ध भी उपयोग में आ सकती है। अब ऐसी ही किसी महिला ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध आरोप लगाकर यह सिद्ध कर दिया है कि महिला सशक्तिकरण का प्रयास गलत था, गलत है और गलत रहेगा। जब समाज के अन्य कमजोर लोगों पर धूर्त महिलायें आरोप लगाती रही तब तो उन धूर्त महिलाओं के चरित्र का ऑकलन नही किया गया और बिना जॉच पडताल ही आरोप को इस तरह सत्य मान लिया गया जैसे महिलायें कभी झूठ नहीं बोलती। अब जरूर उन्हें दर्द हो रहा है और अब समाज की कटाक्ष करने की बारी है। महिलाओं को जिस तरह विशेषाधिकार देकर गलती की गई है वही गलती हरिजनों और आदिवासियों को विशेषाधिकार देकर राजनेताओं ने भी की है। जब देश का कोई प्रधानमंत्री किसी धूर्त हरिजन के चक्कर में पडेगा तब उसे भी पता चलेगा कि सारे हरिजन आदिवासी सच ही नहीं बोलते है और बिना जॉच किये किसी भी प्रकार का कोई आरोप सच नही मानना चाहिये। उस समय फिर हम सब लोगो की कटाक्ष करने की बारी आयेगी और

हम सब लोग यह कहेंगें कि दूसरों के लिये खोदा गया गड्ढा अपने लिये भी खतरनाक हो सकता है। यह बात न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के लोगो को संकट पूर्व ही समझ लेनी चाहिये।

उत्तरार्ध

आप सबको विदित होगा कि बजरंग मुनि जी तथा आचार्य पंकज जी स्थायी रूप से ऋषिकेश कार्यालय में निवास कर रहे है। प्रतिदिन एक घंटे विचार मंथन होता है। सप्ताह में एक दिन रविवार की शाम को छः बजे से सामूहिक विचार मंथन होता है। वर्ष में एक बार ज्ञानोत्सव प्रारंभ किया जा रहा है। इस वर्ष ज्ञानोत्सव 2019 31 अगस्त से 15 सितम्बर तक ऋषिकेश में आयोजित है। चर्चा के तीस विषय पूर्व में गये है और आगे भी जायेगे। देशभर के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिये। 16 जून से करीब चालीस दिन की एक यात्रा मुनि जी और आचार्य जी मिलकर देशभर की करेगे। उत्तर भारत की यात्रा गाडी से होगी और दक्षिण भारत ट्रेन से जा सकते है। यात्रा में ज्ञान य़ज्ञ का उद्देश्य तथा पूरी योजना पर प्रवचन रखे जायेगे तथा उस पर चर्चा होगी। यात्रा के माध्यम से आप सब लोगो को ज्ञानोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया जायेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रवचन कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करे तथा अन्य मित्रों को भी सूचना दे। आपसे यह भी निवेदन है कि आप तात्कालिक जानकारी के लिये बजरंग मुनि जी के फेसबुक www.facbook.com/bajrangmuniji, (www.kaashindia.com) वेब साइड तथा व्हाटसअप नंबर 9617079344, 8826290511 पर जानकारी ले सकते है।

ज्ञानोत्सव 2019 यात्रा 16 जून 2019 से.....

दिनॉक	स्थान	आयोजक	मोबाइल नंबर
16 जून, शाम	ऋषिकेश, उत्तराखण्ड	ऋषिकेश आयोजन समिति	.....
17 जून से 19 जून तक उत्तराखण्ड में			
20 जून, दिन	हरिद्वार, उत्तराखण्ड	श्री विमल जी	9897007360
20 जून, शाम	तलेहड़ी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	चौ0 रतीराम शास्त्री जी	9758900775
21 जून, दिन	बिजनौर, उत्तर प्रदेश	डॉ बीना प्रकाश जी	9837033451
21 जून, शाम	एक्जोटिका ड्रिंग विले हाउसिंग सोसायटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश	श्री नवीन कुमार शर्मा जी	8851353345
22 जून, दिन	गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	श्री आशीष कुमार शर्मा जी	9990844949
22 जून, शाम	दिल्ली	प्रो0 डॉ0 सुधा उपाध्याय जी	.....
23 जून, दिन	बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	श्री रमेश राघव जी	9999158680 9536095386
23 जून, शाम	धनारी, संभल, उत्तर प्रदेश	श्री बहादूर सिंह यादव जी श्री लायक राम कुशवाहा जी	9412568641 9149015157
24 जून, दिन	बदायूं, उत्तर प्रदेश	श्री ऋषिपाल यादव जी	9761458520
24 जून, शाम	काशगंज, उत्तर प्रदेश	डॉ इस्लाम अहमद फारूकी जी डॉ तारा चंद्र वर्मा जी	9719672547 8077469881
25 जून, दिन	आगरा शहर, उत्तर प्रदेश	श्री बच्चू सिंह जी	9568932386
26 जून, दिन	झांसी, उत्तर प्रदेश	श्री राम जी शुक्ला श्री अशोक सक्सेना एडवोकेट	9559559098 9415509233
26 जून, शाम	अभियान कार्यालय, बांदा, उत्तर प्रदेश	डॉ अशोक जी	9452510195
27 जून, दिन	.....	.....	.....
27 जून, शाम	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	श्री उमाशंकर जी	9453015790
28 जून, दिन	बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	डॉ प्रकाश जी	9454768563
29 जून, दिन	बस्ती, उत्तर प्रदेश	श्री हरभजन लाल श्री वास्तव जी	9648607507
29 जून, शाम	तिकोनिया पार्क, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	श्री रेवती रमण तिवारी जी श्री ज्ञानेन्द्र आर्य जी	8423282828 9452705030
30 जून, दिन	सुल्तानपुर ग्रामीण, उत्तर प्रदेश	श्री राजकुमार अग्रहरी जी श्री जय शंकर तिवारी जी	9415632705 .....
30 जून, शाम	.....	.....	.....
1 जुलाई, दिन	.....	.....	.....
1 जुलाई, शाम	मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	श्री राजेन्द्र मिश्रा जी	9935346625

2 व 3 जुलाई अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़			
4 जुलाई, दिन	चोपन/वाराणसी, उत्तर प्रदेश	.....	.....
4 जुलाई, शाम	राजवंती देवी शिक्षण संस्थान, सरदरपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	श्री सूर्यनाथ यादव जी	7398410458
5 जुलाई, दिन	गौरी शंकर महाविद्यालय, ब्रह्मपुर, बक्सर, बिहार	श्री आचार्य धर्मेन्द्र जी	9304074716
5 जुलाई, शाम	कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	श्री उमाशंकर यादव जी	9451473510 9935727579
6 जुलाई, दिन	बिल्थरा रोड, बलिया, उत्तर प्रदेश	श्री जे.पी. सिंह जी	9839333205
6 जुलाई, शाम	देवरिया, उत्तर प्रदेश	श्री चन्द्रिका प्रसाद चौरसिया जी	9415277834
7 जुलाई, दिन	सिवान, बिहार	श्री कैलाशपति दारोगा जी	9939465214
7 जुलाई, शाम	छपरा, बिहार	श्री दिनेश चंद्र जी श्री देवराज मुखिया जी	9204969689 .....
8 जुलाई, दिन	डेहरी आनसोल, बिहार	श्री कृष्ण बाबू जी	
8 जुलाई, शाम	पटना, बिहार	श्री मिथलेश जी	9135479998
9 जुलाई, दिन	शिवहर, बिहार	श्री जितेन्द्र सिंह जी श्री अजय कुमार वर्मा	9430214595 9155305204
9 जुलाई, शाम	मधुबनी, बिहार	श्री ताकेश्वर उर्फ निर्मल मिश्रा जी	9128381234
10 जुलाई, दिन	.....	.....	.....
10 जुलाई, शाम	आर्यानंद नगर, लखीसराय, बिहार	प्रो. श्री अजय कुमार जी	9122194731
11 जुलाई, दिन	मुंगेर, बिहार	श्री अभय कुमार अकेला जी	9934914626
11 जुलाई, शाम	बांका, बिहार	श्री सुधान्सु जी श्री वसंत कुमार सिंह जी	8051608542 6205437514
12 जुलाई, दिन	देवघर, झारखंड	श्री विरेश कुमार वर्मा जी एडवोकेट	9955161961
12 जुलाई, शाम	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	श्री आर्य प्रहलाद गिरी जी	9735132360
13 जुलाई, दिन	धनबाद, झारखंड	श्री कृष्ण लाल रूँगटा जी	9431123154
13 जुलाई, शाम	रामगढ, झारखंड	श्री राजू विश्वकर्मा जी श्री बलराम सिंह जी	9576585772 9431923881
14 जुलाई, दिन	रांची, झारखंड	श्री वरूण बिहारी जी	9798659562
14 जुलाई, शाम	रामानुजगंज, छत्तीसगढ	.....	.....

आगे की यात्रा ज्ञान तत्व के अगले अंक में प्रकाशित की जायेगी।